

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

197

क्रमांक एफ 54 -12/20-2/2006

भोपाल, दिनांक 25/8/06

प्रति,

आयुक्त,
लोक शिक्षण,
म०प्र० भोपाल ।

विषय:- प्रदेश में नये स्कूल खोलने उन्नयन करने संबंधी मापदण्ड निर्धारण
बाबत ।

-0-

प्रदेश के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नये हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल
खोलने/उन्नयन किये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड संलग्न हे
संलग्न:- पारिशिष्ट एक एवं दो

अवर सचिव

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 25/8/06

पृ०क्र०एफ 54-12/20-2/2006

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल
- 2- सचिव, म०प्र० शासन, वित्त विभाग भोपाल
- 3- सचिव, म०प्र० शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल
- 4- सहायक संचालक, म०प्र०
- 5- सहायक संचालक, म०प्र०
- 6- सहायक संचालक, लोक शिक्षण, म०प्र०
- 7- सहायक संचालक, शिक्षा अधिकारी म०प्र०

अवर सचिव

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

Under Secretary
Govt. of Madhya Pradesh,
School Education Deptt.
Bhopal, M.P.

ता. 775

परिशिष्ट-1

198

परिशिष्ट-1

ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए नये मापदण्ड

(क) हाईस्कूल

अनिवार्यता

1. बसाहट से 5 कि.मी. की परिधि में हाई स्कूल की सुविधा न होना ।
2. षोषक माध्यमिक शालाओं की कक्षा 8वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 80 से कम न होना ।
3. कक्षा 9वीं में संभावित नामांकन न्यूनतम 30 होना ।
4. वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या 2000 होना ।

प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
2. रूपये 10 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि/ सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

(ख) हायर सेकेण्डरी स्कूल के मापदण्ड

अनिवार्यता

1. बसाहट से 8 कि.मी. की परिधि में हायर सेकेण्डरी स्कूल की सुविधा न होना ।
2. षोषक हाई स्कूल की कक्षा 10वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 100 से कम न होना ।
3. कक्षा 11वीं में संभावित नामांकन न्यूनतम 30 होना । वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या 3000 होना ।

प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
2. रूपये 15 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि/ सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

अवर सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

Under Secretary,
Govt. of Madhya Pradesh,
School Education Deptt.,
Bhopal

ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए नये मापदण्ड

(क) हाई स्कूल

अनिवार्यता

1. बसाहट से 5 कि.मी. की परिधि में हाई स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक माध्यमिक शालाओं की कक्षा 8 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 80 से कम न होना ।
3. कक्षा 9 वीं में संभावित नामांकन न्यूनतम 30 होना ।
4. वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या 2000 होना ।

प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
2. रूपये 10 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि/सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

(ख) हायर सेकेण्डरी स्कूल के मापदण्ड

अनिवार्यता

1. बसाहट से 8 कि.मी. की परिधि में हायर सेकेण्डरी स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक हाई स्कूल की कक्षा 10 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 100 से कम न होना ।
3. कक्षा 11 वीं में संभावित नामांकन न्यूनतम 30 होना । वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या 3000 होना ।


प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
2. रूपये 15 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि/सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

सही/-

अवर सचिव,

गोप्रोशासन, स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय


Under Secretary
Govt. of Madhya Pradesh
School Education
Mantrolaya, Ehopal